न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

170

प्रकरण क्रमांक निगरानी 440—दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—01—2005 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 18 2002—03/अपील

....

शिवचरन प्रसाद पुत्र श्री मोतीराम,
निवासी —ग्राम नगरा, तहसील पोरसा,
जिला—मुरैना (म0प्र0)
हाल निवासी ललितपुर कालोनी लश्कर

.... आवेदक

विरूद्ध

1— रघुनाथ सिंह पुत्र श्री सोनपाल (मृतक) वारिसान—
अ— रामजीलाल पुत्र स्व.श्री रघुनाथ सिंह, (मृतक) वारिसान—
ब— आनंद पुत्र स्व. रामजीलाल
स— रामनिवास पुत्र स्व.श्री रघुनाथ सिंह,
समस्त निवासीगण—ग्राम रेपुरा तहसील व
जिला— भिण्ड म0प्र0
2— रामभरोसे सिंह पुत्र श्री सोनपाल,
3— उमाचरण पुत्र श्री विशंभर उर्फ विश्वनाथ,
4— श्रीप्रकाश पुत्र श्री विशंभर उर्फ विश्वनाथ,
5— मुन्नी पुत्री श्री विशंभर उर्फ विश्वनाथ,
6— शीला पुत्री श्री विशंभर उर्फ विश्वनाथ,
निवासीगण— ग्राम नगरा, तहसील—पोरसा
जिला— मुरैना, म0प्र0

.......................अनावेदकगण

....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2, 3, 4 व 6

....

आदेश

(आज दिनांक 17-10-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा प्रकरण पारित आदेश दिनांक 27—01—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त इस प्रकार है कि ग्राम कीचोल तहसील पोरस में स्थित विवादित भूमि पर अनावेदकगण का नाम काटकर आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र धारा 190(2), 110 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदक शिवचरण द्वारा तहसीलदार पोरसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालया ने प्रकरण क्रमांक 34/91–92/अ–46 में पारित आदेश दिनांक 10.10.95 द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया । तहसील के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 12/95–96/अपील पर दर्ज होकर दिनांक 18.11.97 से अपील निरस्त की गई तथा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रख गया। अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ विधिवत प्रकरण क्रमांक 38/2002–03/अपील दर्ज किया गया तथा दिनांक 27.01.2005 से अस्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक व अनावेदकण एक ही परिवार के सदस्य है तथा विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा आवेदक का तथा 1/2 हिस्सा अनावेदकगण है । आवेदक के बाबा के नाम ग्राम कीचौल तहसील पोरसा, जिला–मुरैना में कृषि भूमि खसरा क्रमांक 1434 रकबा 1 बी, 15 विस्वा, 1486/1 रकबा 2 बी0 15 विस्वा एवं 1686/3 रकबा 8 विस्वा है, जिसमें आवेदक एवं अनोवदकगण 1/2, 1/2 के हिस्सेदार है। भूमि पर परिवार के किसी एक या अधिक सदस्या का नामांतरण हो जाने मात्र से अन्य स्वत्वधिकारियों के स्वत्व नष्ट नहीं हो जाते है । वर्तमान प्रकरण में आवेदक अधिपति कृषक मौरूषी एवं अनावेदकगण को भूमिस्वामी दर्शाया गया है जबकि आवेदक 1/2 भाग का हिस्से का भूमिस्वामी है। नामांतरण से कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता अपितु स्वत्व के आधार पर नामांतरण किया जाता है । अनावेदकगण 1/2 भाग के भूमिस्वामी इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है इससे अधिक पर नहीं। विवादित भूमि पर अनावेदकगण का नामांतरण हो गया है तब भी बिना हक के नामांतरण से अनावेदकगण, आवेदक के हिस्सा 1/2 को हड़प नहीं सकते। यदि प्रकरण में गलत धाराओं का उल्लेख भी कर दिया गया हो तब उस स्थिति में भी उचित उपबंध के अधीन अनुतोष प्रदान किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालयों ने वरिष्ट न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित इस न्याय सिद्वांत को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया है जो

निरस्त किये जाने योग्य है । अतएव निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक वादग्रस्त भूमि का अनुबंध सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाया व आवेदक ग्वालियर का निवासी है । वादग्रस्त भूमि की आवपारी व लगान भी अनावेदकगण द्वारा जमा किया है । इस आशय का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसील में कथन दर्ज कराये है । ऐसी स्थित में तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेया विधिपूर्ण है । यदि आवेदक भूमिस्वामी होने की घोषणा का अनुतोष चाहता है तो वह इसके लिये सवतंत्र है वह सिविल न्यायालय द्वारा अपने स्वत्व घोषणा की कार्यवाही कर सकता है, राजस्व न्यायालयों को स्वत्वों की घोषणा का कोई अधिकार नहीं है । तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिनुकूल है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर